



उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ- 226001

E-mail: sectrustlko@gmail.com

website: uppst.org

दिनांक: 16/03/2022

पत्र सं०:-

/44/USPSET/ERPWork/2020-21

कार्यालय-ज्ञाप

अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के कार्यालय ज्ञाप सं० 142/44/USPSET/ERPWork/2020-21 दिनांक 14.02.2022 के अनुपालन में सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान प्रकरणों में अन्तिम भुगतान की धनराशि कार्मिकों/दावेदारों के बैंक खातों में सीधे ट्रस्ट द्वारा अंतरित किये जाने हेतु सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रेषित किये जाने वाले जांच पत्र का संशोधित प्रारूप एवं प्राधिकृत कार्यालयों द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान के प्राधिकार पत्र का संशोधित प्रारूप जो कि सीधे लेखाधिकारी, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सम्बोधित होगा, Format 'C' (संलग्नक-1) में तत्काल प्रभाव से निर्गत किये जायेंगे।
उक्त व्यवस्था आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगी।

संलग्नक:-यथोपरि।

(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)

पत्र सं०:- 271 /44/USPSET/ERPWork/2020-21 /तददिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/ उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ पूर्वांचल/ मध्यांचल/ दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/ केस्को के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/ उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ पूर्वांचल/ मध्यांचल/ दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०/ केस्को।
4. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/ उ०प्र०ज०वि०नि०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ पूर्वांचल/ मध्यांचल/ दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०/ केस्को।
5. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट।
6. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (मा०सं०), उ०प्र०ज०वि०नि०लि०।
9. समस्त मुख्य अभियंता।
10. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा)।
11. उपसचिव, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, समस्त परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय।
13. अधिशासी अभियंता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
15. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. कट फाइल।

(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)

जाँच पत्र

श्री/श्रीमती.....(पदनाम सहित) SAP ID.....के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या ई.बी./..... का अन्तिम भुगतान प्रकरण उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, लखनऊ को भेजने हेतु जाँच पत्र—

क्र०सं०	जाँच बिन्दु	जाँच स्थिति
1.	अन्तिम भुगतान का आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया गया है, सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण - प्रपत्र-ए मृतक अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण - प्रपत्र-सी	
2.	अभिदाता का परिषद/ट्रस्ट द्वारा आवंटित सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एवं मोबाइल नम्बर	
3.	सामान्य भविष्य निधि की अन्तिम पाँच वर्षों की (उपलब्धतानुसार) निर्गमित लेखा पर्ची की स्वः प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।	
4.	सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र अथवा मृत्यु की तिथि। सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र अथवा मृत्यु की स्थिति में क्रमशः सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र स्वीकृति कार्यालय ज्ञापन की प्रति/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	
5.	मृतक के प्रकरण में यदि दावेदार नामित व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।	
6.	वर्ष 2019-20 के उपरान्त, अन्तिम अभिदान तक जमा एवं नाम अंशदान का सत्यापित विवरण सम्बन्धित समस्त आहरण एवं वितरण इकाई द्वारा प्रमाणित करवाकर संलग्न है।	
7.	अभिदाता की सेवा अवधि में, अवधि के अवरोहण क्रम में तैनाती इकाईयों की सूची संलग्न है।	
8.	अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/मृत्यु की तिथि से पूर्व पाँच वर्ष की अवधि में आहरित अन्तिम निष्कासन एवं अस्थायी अग्रिम की सूची संलग्न है।	
9.	दावेदार की व्यक्तिगत पहचान हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र अथवा पैन/आधार आदि की प्रति प्रमाणित करवाकर संलग्न है।	
10.	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त संलग्न/प्रपत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित/सत्यापित हैं।	
11.	अभिदाता की सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/मृत्यु के उपरान्त सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम निष्कासन या अस्थायी अग्रिम का आहरण नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो उसका विवरण कारण सहित संलग्न है।	
12.	यदि अभिदाता को 90% भुगतान किया जा चुका है, तो ऐसी दशा में उस भुगतान आदेश की प्रति 10% अवशेष भुगतान हेतु संलग्न है।	
13.	प्रोन्नत अवर अभियन्ता के प्रकरणों में तृतीय श्रेणी के पद पर की गयी सेवा के सम्बन्ध में अवशेष स्थानान्तरण/मूल लेजर कार्डस प्रेषित करने की स्थिति, सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखा कार्यालय से अनुरोध की स्थिति।	
14.	अन्तिम भुगतान से सम्बन्धित धनराशि के भुगतान हेतु कार्मिक/दावेदार के बैंक खाते का पूर्ण सत्यापित विवरण (पासबुक की प्रति एवं निरस्त चेक) संलग्न किया गया है।	

टिप्पणी :- जाँच पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा, आवेदन प्रपत्र दावेदार एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। साथ ही सा०भ०नि० अन्तिम भुगतान प्रकरण का अग्रसारण ट्रस्ट कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं० 57/44/USPSET/ERPWork/2020-21 दिनांक 24.01.2022 के बिन्दु 'ख' के अनुसार किया जायेगा।

आहरण एवं वितरण अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी

(नाम, पदनाम मुहर सहित)
मो०सं०:-



(Format 'C')

(प्राधिकार पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

Contact no. :

E-mail id :

संख्या:...../सामनि०/अंतिम भुगतान

दिनांक:.....

लेखाधिकारी

उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार

14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

(सा०भ०नि० अन्तिम भुगतान का प्राधिकार पत्र)

विषय :- श्री/श्रीमती/स्व० पदनाम SAP ID..... मो०नं०.....
के सामान्य भविष्य निधि खाता सं० का अन्तिम भुगतान।

महोदय,

नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित/प्राप्त, प्रपत्र/सूचनाओं एवं इस कार्यालय के अभिलेखों के आधार पर, मैं आपको एतद्वारा श्री/श्रीमती/स्व० पदनाम (से०नि०/मृत्यु तिथि.....) के सामान्य भविष्य निधि खाता सं०..... में जमा धनराशि रु०..... (रूपया..... मात्र) के भुगतान के लिए अधिकृत करता हूँ।

1. इस धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारी श्री/श्रीमती/स्व० की पत्नी/उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती..... जो कि मृतक द्वारा नामित हैं, को किया जाए—

बैंक का नाम एवं शाखा —

बैंक खाता सं० —

आई०एफ०एस०कोड —

2. यह प्राधिकार पत्र निर्गत होने की तिथि से छः माह के लिए वैध है।
3. भुगतान करते समय कार्मिक के सामान्य भविष्य निधि खाता सं० को नाम (डेबिट) करें तथा भुगतान की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. अभिदाता के खाते से इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण के साथ उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि से अन्तिम पांच वर्षों में कुल निम्नलिखित अग्रिम (डेबिट) समायोजित किये गये हैं:-
- 1) वित्तीय वर्ष..... धनराशि रु०.....
 - 2) वित्तीय वर्ष..... धनराशि रु०.....
 - 3) वित्तीय वर्ष..... धनराशि रु०.....
 - 4) वित्तीय वर्ष..... धनराशि रु०.....
 - 5) वित्तीय वर्ष..... धनराशि रु०.....
5. यदि प्राधिकार पत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति के नियंत्रक अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी या अभिदाता के संज्ञान में आती है तो प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब अधिकतम एक माह के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। देय धनराशि में विसंगति संज्ञान में आने पर, भुगतान से पूर्व, ट्रस्ट कार्यालय की सहमति/निर्देश आवश्यक होंगे।
6. भूलवश या ब्याज के त्रैमासिक आधार पर परिवर्तन के कारण अधिक/कम भुगतान के लिए संशोधित प्राधिकार पत्र के माध्यम से संबंधित कार्मिक को/से नियमानुसार भुगतान/वसूली की जा सकेगी।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर सहित)

संख्या :...../सामनि०/अंतिम भुगतान.. तददिनांक...

प्रतिलिपि :-

1. श्री/श्रीमती.....
2. सम्बन्धित कार्यालय।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर सहित)